बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या–01/स्था0 (राज0)–10/2018– 3439 /न0वि0आ0वि0। श्री अमित कुमार (बिहार नगर सेवा), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बीहट के कार्यशैली सरकारी पदाधिकारी के अनुकूल नहीं होने, उच्चाधिकारियों के आदेशों को उल्लंघन करने एवं जनप्रतिनिधियों एवं कार्यालय कर्मियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं रहने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (i) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 2472 दिनांक 26.04.2018 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया था।

श्री अमित कुमार द्वारा निलंबन मुक्त करने एवं विभागीय कार्यवाही के निर्णय पर पुनर्विचार हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त श्री अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। श्री कुमार के विरूद्ध पूर्व के निर्णयानुसार विभागीय कार्यवाही जारी रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था0 (राज0)–10/2018– 3439 /न0वि0आ0वि0, पटना दिनांक– 28/06/18

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/श्री अमित कुमार, (बि0न0से0), सम्प्रति विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षारत/

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.6.18

सरकार के अवर सचिव।